राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
63/24	08.07.24	30.01.25

बउनवान

1. पूरण पुत्र भोरया निवासी नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा
2. रामचन्द पुत्र भोरया निवासी नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा

..प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री धर्मसिंह राजपूत।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से, जरिये अभिभाषक श्री धर्मसिंह राजपूत, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थीगण कानून में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं जिनकी खातेदारी की उक्त आराजी की प्रार्थीगण डोल मेढ कर पत्थर गढी करवाना चाहते हैं। उक्त आराजी को डोल मेढ करने में आस पडोसी बिना वजह के व्यवधान करते रहते हैं तथा उनकी आराजी को हडपना चाहते है। इस हेतु प्रार्थीगण ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने को कहा। इस कारण उक्त आराजी की पत्थर गढ़ी किये जाने के आदेश फरमाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा सं. 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. वाके ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा का जरिये प्रशासन तहसीलदार मण्डावर एवं थानाधिकारी मण्डावर की उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करते हुये निशानात कायम किये जाकर पत्थर गढी करवाये जाने तथा पत्थरगढ़ी में आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध को हटाये जानें के आदेश करें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्राथी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किया। अप्रार्थी की ओर से इस न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी

उक्त आराजी खसरा सं. 18/636 की अन्य खातेदार गुल्ली पत्नी स्व. भोरया को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण की ओर से जरिये प्रार्थना पत्र निवेदन गया कि गुल्ली पत्नी स्व. भोरया की मृत्यु हो चुकी है एवं उसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि के मालिक वर्तमान में प्रार्थीगण ही रह गये हैं। उक्त भूमि का मृतक के हिस्से का अभी तक नामान्तरण नहीं खुला है, इसलिये अब उक्त भूमि के प्रार्थीगण ही मालिक रह गए हैं। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 सशर्त स्वीकार किया जाकर ग्राम नांगल सुमेरसिंह तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 18/636 रकबा 0.10 हैक्टे. भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण पहले अपने आराजी के सीमाज्ञान हेतु निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार मण्डावर के कार्यालय में आवेदन करे तथा निर्धारित रीति से सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक उकरूंद को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थीगण की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी की कार्यवाही के दौरान यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरूंद मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण पडौसीयों की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मैंजारी हुए
पूरण बनाम तहसीलदार मु.नं. 63/25 (फतहगढ़ी)	

28.1.25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर से जवाब/रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार जवाब/रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 30.1.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

30.1.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रा.पत्र बाबत् गुल्ली पत्नी स्व. भोरया की फौत पेश किया गया। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 120 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 पर बहस सुनी। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र बाबत् पत्पट्टी सशर्त स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner